बालेश्वर पासवान और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

16 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. राजेंद्र बाबू और न्यायाधिपति रूमा पाल]

सेवा कानून- विश्वता- विभिन्न संवर्गों में या तो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर या अन्य स्रोतों से नियुक्ति- संवर्गों के विलय का निर्णय- महाधिवक्ता सहायकों के कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सहायकों के रूप में नियुक्त अपीलार्थी। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सहायकों को नियुक्त किया गया जिसे अपीलकर्ताओं से विरष्ठ दिखाया गया है- अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय दवारा विरष्ठता सूची को बरकरार रखा गया है -माना जाता है कि महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के समूह और अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए कर्मचारियों के समूह और अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए कर्मचारियों के समूह और उत्य स्रोतों से भर्ती किए गए कर्मचारियों के समूह के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिपत्र के आधार पर लिया गया दृष्टकोण, जिसकी संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और पृष्टि की गई थी, को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता है।

अपीलार्थियों को महाधिवक्ता, बिहार के कार्यालय द्वारा आयोजित एक परीक्षण के आधार पर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। सिचवालय में सहायकों की नियुक्ति पिछली सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भी की गई थी। सरकार ने इन दोनों कैंडरों का विलय करने का निर्णय लिया और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए सभी सहायकों को अन्य स्रोतों के माध्यम से नियुक्त सहायकों से विरष्ठ रैंक देना था। बाद में महाधिवक्ता के कार्यालय का बिहार सरकार के विधि विभाग के कार्यालय में विलय हो गया। अपीलार्थियों को अन्य स्रोतों के माध्यम से नियुक्त माना जाता था, इसलिए, सामान्य प्रतिस्पर्धी परीक्षा राष्ट्र के माध्यम से नियुक्त सहायकों के लिए किंग्ड दिखाया गया था। उच्च न्यायालय ने विरिक्तता सूची को बरकरार रखते हुए उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सभी व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए था और सेवा में शामिल होने की उनकी तारीख के आधार पर अंतर वरिष्ठता तय की जानी चाहिए थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने आयोजित किया

1. सिद्धांत रूप में, इनके बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। कर्मचारियों के ये दो समूह जिन्हें अन्य स्रोतों से भर्ती किया गया था और महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा भर्ती किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए अपीलार्थियों की विरष्ठता और सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए अपीलार्थियों की विरष्ठता का निर्धारण सरकारी परिपत्र दिनांक 30.3.1981 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करके किया जाना चाहिए। जिसकी संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पृष्टि की गई थी, उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। [951 - सी-ई]

उदय प्रताप सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1994] (सप) 3 एस. सी. सी. 451, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 3617/2000

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.4.1999 के निर्णय और आदेश से सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 5313/1994

पी. एस. मिश्रा और अमरेंद्र शरण, कुमार राजेश सिंह, सुजीत कुमार सिंह, पवन उपाध्याय, विष्णु शर्मा, एस. बी. उपाध्याय, अमित कुमार, श्रीश कुमार मिश्रा और इरशाद अहमद उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-न्यायाधिपति राजेन्द्र बाबू : हमसे पहले अपीलकर्ताओं ने 1975 और 1985 के बीच बिहार के महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भाग लिया और उन्हें सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार, बिहार सरकार के सचिवालय में भर्ती हुई थी और जब दोनों संवर्गों के विलय का सवाल था सरकार ने 14.8.1987 पर निर्णय लिया कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए सभी सहायक उन सहायकों से विरष्ठ होंगे जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लेकिन अन्य स्रोतों के माध्यम से नहीं, जबिक, निश्चित रूप से, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता की रक्षा की जाएगी।

21.7.1991 पर किए गए एक आदेश द्वारा, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि महाधिवका का कार्यालय, बिहार सरकार के विधि विभाग के कार्यालय से जुड़ा होगा। जब सवाल दोनों विभागों का विलय का आता है तो सरकार ने नियम ए 14(2)(जी एच ए) का पालन किया कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों और अन्य स्रोतों के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवारों की परस्पर विष्ठता आधार पर निर्धारित की जाएगी। कि प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार नियुक्त किए गए लोगों को विरष्ठ रैंक दिया जाएगा और पद का निर्धारण किया जाएगा। सभी सफल अभ्यर्थियों को परिवीक्षा पर रखे जाने की तिथि के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

इस आधार पर अंतिम श्रेणीकरण सूची प्रकाशित की गई और अपीलार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सहायकों से कनिष्ठ दिखाया गया था इसके खिलाफ उनका ज्ञापन असफल होने के कारण, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1971 और 1973 में आयोजित सामान्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी थी और उनका चयन महाधिवक्ता विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया गया था और इसलिए वे समान स्तर पर हैं। अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के रूप में, न कि सहायकों की भर्ती के लिए आयोजित सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। उच्च न्यायालय का आदेश जो हमारे सामने चुनौती में है।

अपीलार्थियों की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थियों को सामान्य प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए और अन्य सहायकों के साथ उनकी पारस्परिक वरिष्ठता मौजूदा नियमों के अनुसार शामिल होने की तारीख के आधार पर तय की जानी चाहिए थी,न कि उस तरीके से जो किया गया है। उत्तरदाताओं का रुख वही है जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय आगे बढ़ा इस आधार पर कि अधिवक्ता के कार्यालय में कार्यरत सहायक दिनांकित 27.2.1991

संकल्प के अनुसार एक संलग्न कार्यालय घोषित होने के बाद ही जनरल संयुक्त संवर्ग के सदस्य बने। संयुक्त संवर्ग नियम पहले से ही 30.8.1988 से लागू हो चुके थे, हालाँकि उन्हें 1.6.1992 पर अधिसूचित किया गया था।

अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि उनकी नियुक्ति भी उनके महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर की गई थी और उनकी बराबरी उन सहायकों के साथ की जानी चाहिए जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता अन्य उम्मीदवारों के समान स्थिति में खड़े थे जिन्होंने वर्ष 1971 और 1973 में आयोजित सामान्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी थी। और इसलिए, वे अन्य स्रोत से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के समान ही खड़े थे अर्थात, सहायकों की भर्ती के लिए आयोजित किसी भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि विभागीय रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवार और यह कि विभागों के विलय पर, अपीलकर्ता कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं जो संबंधित मामलों में पक्षों द्वारा दावा किया गया था। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उदय प्रताप सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1994] सप. 3 एससीसी 451 में। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी, जिन्हें एक समान स्थिति में रखा गया था वर्तमान मामले की स्थिति में, एक विशेष तिथि को वरिष्ठ शाखा के विलय किए गए संवर्ग में प्रवेश किया था और जबिक उसमें उत्तरदाताओं ने उससे पहले सीधे भर्ती के रूप में विभाग में प्रवेश किया था और इसलिए, उन्हें उत्तरदाताओं से वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

सिद्धांत रूप में, इन दोनों समूहों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। ऐसे कर्मचारियों की जिन्हें अन्य स्रोतों से भर्ती किया गया था और महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा भर्ती किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए अपीलार्थियों की तुलना में अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए अपीलार्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण सरकारी परिपत्र दिनांक 30.3.1981 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करके किया जाना चाहिए, जिसकी संवैधानिक वैधता उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई थी और जैसा कि उदय प्रताप के मामले में इस न्यायालय द्वारा पृष्टि की गई थी।

इसलिए यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेश दिया।

ए. क्यू.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।